



(98)

रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

R-917-PBR/12

1. श्री अश्विनी कुमार पिता श्री भजनलाल अग्रवाल  
आयु - 55 वर्ष, व्यवसाय - व्यापार  
निवासी - 9, सांघी कॉलोनी, इन्दौर  
श्रीमती सरोजदेवी पति श्री अश्विनी कुमार अग्रवाल  
आयु - वयस्क, व्यवसाय - गृहकार्य  
निवासी - 9, सांघी कॉलोनी, इन्दौर - प्रार्थीगण

विरुद्ध

- श्री लोकेन्द्र पिता श्री सदाशिव जर्मीदार  
आयु - वयस्क, व्यवसाय - ज्ञात नहीं  
निवासी - 31, छोटा रावला, रावजी बाजार, जूनी इन्दौर,  
इन्दौर (म.प्र.) - प्रतिप्रार्थी

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 158/अ-6/10-11 में पारित प्रोसीडिंग आदेश दिनांक 15.02.2012 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपनी निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत करते हैं :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-



यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रार्थी द्वारा एक आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 109-110 म.प्र. भू-राजस्व संहिता प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिप्रार्थी को पक्षकार बनाया गया है। उक्त आवेदन-पत्र में ऐसा कोई आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रार्थी का नाम बतौर भूमि



राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 917-पीबीआर/2012 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	<p>आवेदकपक्ष की ओर से श्री हरीश सॉलकी अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p> अवेदक</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	